।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक–स्था/एच.ओ./2/प्रहरी भर्ती/2018/30072 दिनांक– 14-08-2018

प्रहरी के पद पर खेल कोटा के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

1. महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर द्वारा प्रहरी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक स्था/एच.ओ./2/प्रहरी भर्ती/2018/23955 दिनांक 20.07.2018 में राजस्थान राज्य के "उत्कृष्ट खिलाडियों" के लिये मण्डलवार विज्ञापित पदों में 2% पदो की विज्ञप्ति पृथक से जारी करने हेतु लिखा गया था।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.5(31)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 15.03.2013 एवं राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम–11 के प्रावधानानुसार विज्ञापित पदों में से खेल कोटे के तहत प्रहरी के (08) मण्डलवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिये योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र (Application Form) आमंत्रित किये जाते है।

खेल कोटे के तहत भर्ती किये जाने वाले मण्डलवार पदों का विवरण

क्र. सं.	जयपुर मण्डल	भरतपुर मण्डल	जोधपुर मण्डल	उदयपुर मण्डल	कोटा मण्डल	बीकानेर मण्डल	अजमेर मण्डल	योग
1.	02	01	01	01	01	01	01	08

विज्ञापित रिक्तियों में राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए 2% आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप में माना जायेगा और इसका समायोजन पूर्व में विज्ञापित पदों के उस संबंधित मण्डल एवं प्रवर्ग में किया जाएगा जिससे खिलाडी सम्बद्ध है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र व उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं की जाएगी।

उत्कृष्ट खिलाडी के पद पर भर्ती हेतु महानिदेशक कारागार द्वारा पृथक से बोर्ड गठित किया जावेगा जो इन अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का परीक्षण करेगा तथा उनकी खेल से संबंधित दक्षता परीक्षा लेगा।

खेल कोटे में चयनित अभ्यर्थी का नाम मण्डल की चयन सूची में सामान्य प्रहरी से नीचे होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, प्रशिक्षण/अभ्यास/प्रतियोगिता हेतु किसी भी स्थान पर भेज सकेंगे।

2. आवेदन प्रक्रियाः–

1) यह आवेदन पत्र महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित करते हुए दिनांक 30.08.2018 **को सांय 06.00 पीएम** तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा/व्यक्तिशः महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर में भिजवाएं जा सकते है या जमा करवाये जा सकते है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेगें। भर्ती हेतु योग्यता एवं पात्रता भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण कारागार मुख्यालय

के स्थाई आदेश संख्या 01/2018 के परिशिष्ट "अ" में वर्णित है। यह स्थाई आदेश राजस्थान कारागार की वेबसाईट www.home.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी विवाद की स्थिति में स्थाई आदेश संख्या 01/2018 दिनांक 20.07.2018 के परिशिष्ट "अ" में वर्णित प्रावधानो को अन्तिम माना जावेगा।

2) आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान कारागार की वेबसाईट www.home.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे स्वंय की हस्तलिपि मे पूर्ण रूप से भरकर एवं निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर ''महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर'' को सम्बोधित करते हुये संलग्न कर नियत तिथि तक विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या–2 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार जमा करा सकते है।

3. **आवेदन शुल्कः–** अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर महानिरीक्षक कारागार को सम्बोधित संलग्न करना आवश्यक है।

1. एस.सी./एस.टी.के आवेदक जो राजस्थान के मूल निवासी है हेतु– 400/– रूपये
2. अन्य समस्त आवेदक हेतु – 500/– रूपये

4. **आयु सीमा–** अभ्यर्थी 01.01.2019 को 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए परन्तु 26 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए, तथापि–

(i) (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, को आयु सीमा में 5 वर्ष को छूट देय होगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

(ii) पंचायत समितियों और जिला परिषदों एवं राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में अधिष्ठायी **(Substantive)** रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(iii) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में अधिष्ठायी **(Substantive)** रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(v) विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–विधवा अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थी को विवाह विच्छेद का प्रमाण आवेदन करने की तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

(vi) उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी **(Substantive)** तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(vii) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दोषसिद्ध से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था उपरिवर्णित आयु सीमा में उसके द्वारा भुगत कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।

नोट– उपरोक्त पैरा 4 के प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान **"Non Cumulative"** है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उदाहरणार्थ– यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के संस्थायी कर्मचारी के साथ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के संस्थायी कर्मचारी होने के कारण 40 वर्ष तक पात्र माना जायेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण 5 वर्ष का अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा।

5. **शैक्षणिक योग्यताः–**

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी, दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान व राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति का ज्ञान।

6. **वेतनमान एवं पेंशनः–**

प्रहरी पद पर नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को दो वर्ष परिवीक्षा काल में वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसार मासिक नियत पारिश्रमिक **(Fixed Remuneration) 12800/-** रूपये देय होगा। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मेट्रिक्स लेवल–3 में नियमानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

चयनित/नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. **परीक्षा :–** उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद पर भर्ती हेतु किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। आवेदन पत्रों एवं खेल प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात योग्य आवेदकों को योग्यता परीक्षा हेतु निर्धारित स्थान एवं समय पर ट्रायल लिया जायेगा।

8. **शारीरिक मापतौल –**

उत्कृष्ट खिलाडी हेतु अभ्यर्थी का शारीरिक मापतौल निम्नानुसार होना चाहियेः–

पुरूष अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 168 सेमी.
	सीना	बिना फुलाए 81 सेमी. फुलाने पर 86 सेमी.
(सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी.)		

महिला अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 152 सेमी.
	वजन	न्यूनतम 47.5 किग्रा

नोट–उपरोक्त वर्णित मानदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी. तक की छूट देय है। गढवाली, गोरखा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊँचाई 158 सेमी. से कम नहीं होनी चाहिए।

9. चयन प्रक्रिया:–

अभ्यर्थी का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये खेल प्रमाण पत्रों के अंको एवं ट्रायल में प्राप्त अंको के आधार पर मैरिट के अनुसार किया जाएगा।

10. नियुक्ति हेतु अयोग्यता :–

(i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि दिनांक01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती।
परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।
परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जायेगी।

(ii) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय वान्छनीय होगा।

(iii) किसी भी विवाहित/विवाहिता अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसके विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया हो।

<u>स्पष्टीकरण</u> – इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(iv) आवेदक के एक से अधिक जीवित पत्नी/पति होने पर वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी गई हो।

(v) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (DEBAR) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (DEBAR) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नही करें।

11. महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. खेल प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 03 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
2. एक से अधिक खेल/इवेन्ट में आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को पृथक–पृथक शुल्क के साथ–साथ पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
3. अभ्यार्थियों को आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र (छः माह से पुराने नहीं

हो) एवं खेल प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित छायां प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।

4. आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र में आवेदक द्वारा भरकर प्रस्तुत करना होगा।
5. चयनित अभ्यार्थियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि में खेल में दक्षता एवं संतोषजनक कार्य निष्पादन पर ही स्थाईकरण किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने पर नियमानुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ा दिया जायेगा।
6. अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र एवं सूचना गलत व जाली पाये जाने पर उसे नियमानुसार सेवा से पृथक करते हुये नियमानुसार अपराधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
7. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा अधूरा होने की स्थिति में निरस्त कर दिया जायेगा।
8. आवेदन पत्र पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर नहीं होने एवं निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
9. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
10. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. अन्य कोई अनियमितता जिसके कारण चयन बोर्ड आवेदन पत्र निरस्त कर सकेगा।
12. प्राप्त आवेदन पत्रो मे से स्क्रीनिंग उपरान्त चयन बोर्ड द्वारा पात्र पाये गये अभ्यार्थियों को ट्रायल हेतु बुलाया जावेगा, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।
13. यदि कोई आवेदक पूर्व से ही भारत सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर ऑरगेनाईजेशन में सेवारत है, तो उसे आवेदन पत्र के साथ संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
14. शेष नियम/शर्ते पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 23955 दिनांक 20.07.2018 के अनुसार रहेगी।

महानिरीक्षक कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र ''अ''

राजस्थान कारागार में प्रहरी के पद पर खेल कोटा के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र

स्व–सत्यापित अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

सेवामें,
महानिरीक्षक कारागार,
(मुख्यालय) राजस्थान,
घाटगेट, जयपुर।

1. अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)..

   हिन्दी में..

2. पिता का नाम...

3. वर्तमान पता...

   राज्य...पिन...

4. स्थाई पता...

   राज्य...पिन...

5. (क) संपर्क टेलीफोन नं. (मय एसटीडी कोड/मोबाईल नं..

   (ख) ई–मेल (यदि हो तो)..

6. मण्डल का नाम ....

7. जन्मतिथि (मैट्रिक/दसवीं अंकतालिका, प्रमाण–पत्र के अनुसार)..................................

   (मैट्रिक/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

8. आयु (दिनांक 01.01.2019 को) .... वर्ष .... माह .... दिन

9. लिंग (पुरूष/महिला)............................ .9–राष्ट्रीयता...

10. समुदाय (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य)...

    (जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र, की स्व सत्यापित फोटो प्रति तथा दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

11. व्यक्तिगत पहचान चिन्ह...

12. शैक्षणिक योग्यता मय अंकतालिका (अंकपत्रों/प्रमाण–पत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)..

13. विवाहित/अविवाहित .... (विवाहित होने की स्थिति उत्पन्न सन्तानों की संख्या ....

14. ऊँचाई (से.मी) ....

15. सीने की माप (केवल पुरूष के लिए) फुलाने पर .... सेमी. एवं बिना फुलाए .... सेमी

16. (क) खेल...(ख) (Event)/Category...............................

17. टीम में खेलने की पोजीशन (यदि लागू हो तो)..

18. संक्षिप्त में खेल उपलब्धियां (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए)...

19. संलग्न भारतीय पोस्टल ऑर्डर का ब्यौराः– डाकघर का नाम.......................................तिथि.. ....राशि...

20. आवेदक का आपराधिक विवरण (यदि कोई हो तो)

1. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है	हॉ	नहीं
2. क्या आवेदक को किसी आपराधिक प्रकरण में चालान हुआ है।	हॉ	नहीं
3. क्या आवेदक को किसी आपराधिक प्रकरण में सजा मिली है।	हॉ	नहीं

नोटः– यदि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 में से किसी का उत्तर हॉ मे हो तो अपराध क्रमांक, धारा, थाने का नाम, न्यायालय का नाम, अपराध/आरोप व सजा का संक्षिप्त विवरण कॉलम संख्या–4 में अंकित करें। उपरोक्त कॉलम में सकारात्मक तथ्य देने मात्र से आवेदन पत्र निरस्त नहीं होगा, परन्तु तथ्य छुपाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

4. मुकदमा न. .... थाना ....जिला .... अन्तर्गत धारा .... न्यायालय निर्णय दिनांक .... सजा/बरी/अन्य ....

21. क्या आप पूर्व से ही भारत सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर ऑरगेनाईजेशन मे सेवारत है या नहीं..
यदि हां तो विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

घोषणा

मै एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूॅ कि मेरे द्वारा उपर वर्णित किया गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि कुछ गलत या असत्य पाया जाता है, तो आवेदन निरस्त हो जाएगा और यदि गलती का पता मेरे चयन के बाद चलता है, तो मेरी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मैं राजस्थान कारागार विभाग में कही भी तैनात किए जाने का इच्छुक हूँ।

स्थान :–...............................

दिनांक :–.............................

बांयें हाथ का अंगूठा

....

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ना हो)

राजस्थान सरकार

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्था./सैटअप/प्रहरी नियुक्ति/2018/23896 दिनांक: 20/7/18

:: स्थाई आदेश संख्या 01/2018 ::

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के पार्ट–4 के नियम 28(4)(i) के अन्तर्गत प्रहरी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में जारी स्थाई आदेश संख्या 4/2011 दिनांक 06.09.2011 के अतिक्रमण में निम्न आदेश प्रसारित किया जाता है :–

पार्ट– I

लिखित परीक्षा

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के पार्ट–4 के नियम 26 के प्रावधानानुसार प्रहरी पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा 400 अंको की होगी जिसके लिये 2 घण्टे का समय निर्धारित किया जाता है। परीक्षा तीन भागों में वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकृति की होगी। परीक्षा का विषय एवं अंक विभाजन निम्नानुसार होगा –

भाग–अ	विवेचना एवं तार्किक योग्यता	180 अंक
भाग–ब	सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक	100 अंक
भाग–स	राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि	120 अंक

प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जायेगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक उत्तीर्णांक के रूप में निर्धारित हैं।

पार्ट– II

(A). शारीरिक माप तौल

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 18 के पार्ट –2 एवं पार्ट –2 के उप नियम (i)(ii)(iii) के प्रावधानानुसार शारीरिक माप तौल निम्नानुसार होना चाहिये –

पुरूष अभ्यर्थी	*ऊँचाई*	*न्यूनतम 168 सेमी.*
	सीना	*बिना फुलाए 81 सेमी.* *फुलाने पर 86 सेमी.*
(सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी.)		

महिला अभ्यर्थी	*ऊँचाई*	*न्यूनतम 152 सेमी.*
	वजन	*न्यूनतम 47.5 किग्रा*

नोट– उपरोक्त वर्णित मानदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी. तक की छूट देय है। गढवाली, गोरखा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊँचाई 158 सेमी. से कग नहीं होनी चाहिए।

(B). शारीरिक दक्षता परीक्षा

निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के अनुरूप पाये गये अभ्यर्थियों की राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 28 के प्रावधानानुसार शारीरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी जो निम्नानुसार होगी –

	परीक्षा	**निर्धारित समय**
पुरूष अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 25 मिनट में
महिला अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 35 मिनट में

उक्त परीक्षा हेतु एक अवसर ही देय होगा।

भूतपूर्व सैनिक शारीरिक दक्षता परीक्षा से मुक्त रहेंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाईंग नेचर *(Qualifying Nature)* की होगी।

पार्ट– III

(A) चयन सूची

चयन समिति द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयतानुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी। चयन समिति विज्ञापित रिक्त पदों के अधिकतम 50% की सीमा तक पात्र अभ्यर्थियों के नाम की आरक्षित सूची तैयार करेगी, जो छः माह तक के लिये वैध होगी।

(B) चिकित्सकीय परीक्षण

चयन सूची में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जायेगा। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम 18 के पार्ट–2 के नियम (iv) के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी की दृष्टि निम्नानुसार होनी चाहिये –

टूक शक्ति	बिना चश्मे के		चश्मे सहित	
	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि
दूर की	6/6	6/60	6/6	6/13
निकट की	जे 5	जे 5	जे 1	जे 1

टिप्पणी–(1) निकट दृष्टि 5 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) मौलिक रंगों में विभेद न कर पाना और/या रात्रि का अन्धापन (रतौंधी) यदि हो तो अनर्हता समझी जावेगी।

(3) किसी भी रूप में स्पष्ट भैंगापन होने से अभ्यर्थी अनर्ह हो जायेगा।

(C) नियुक्ति

चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों से चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरवाया जाकर संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों का संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड इत्यादि से सत्यापन करवाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज व चरित्र सत्यापन सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जायेगी। नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान अपात्र पाये गये अभ्यर्थी के स्थान पर नियमानुसार आरक्षित सूची में से पात्र अभ्यर्थी का चिकित्सकीय परीक्षण, चरित्र सत्यापन व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाकर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(D) उत्कृष्ट खिलाडियों के चयन प्रकिया हेतु परिशिष्ट "अ" अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः– उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन प्रकिया (आरक्षण 2%)

A दस्तावेज और योग्यता परीक्षण

(a) दस्तावेज परीक्षण (70 अंक) :- उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद पर भर्ती हेतु किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात योग्य आवेदकों को योग्यता परीक्षा हेतु निर्धारित स्थान एवं समय पर आमंत्रित किया जायेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पद पर भर्ती हेतु खेल चयन बोर्ड मूल दस्तावेजों का परीक्षण करेगा, जिसमें आवेदक के खेल से संबंधित मूल दस्तावेजों की जांच की जायेगी। आवेदक के राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। राजस्थान के मूल निवासी ही उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आरक्षित पद पर भर्ती हेतु पात्र होंगे। प्रत्येक आवेदक के खेल से संबंधित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के परीक्षण के बाद उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा, जिसके अंको का निर्धारण निम्नानुसार है :-

क.सं.	प्रमाण पत्र	अंक	
1.	भारतीय टीम का व्यक्तिगत या टीम ईवेंट के सदस्य के रूप में ओलम्पिक खेल/विश्व चैम्पियनशिप/वर्ल्ड कप/एशियन खेल/ कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप/कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप या एशिया कप/सैफ खेल में प्रतिनिधित्व किया हो।	70	
2.	भारतीय टीम का व्यक्तिगत या टीम ईवेंट के सदस्य के रूप में आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप/एशियन स्कूल चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व किया हो।	60	
3.	राष्ट्रीय खेलों, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, ओपन नेशनल ऐथलैटिक चैम्पियनशिप, नेशनल इन्टर स्टेट सीनियर ऐथलेटिक चैम्पियनशिप एवं फैडरेशन कप नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप/ नेशनल क्रोस कन्ट्री चैम्पियनशिप/युवा नेशनल खेल/जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप/ सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत या टीम ईवेंट में पदक जीता हो।	1st Rank	55
		2st Rank	50
		3st Rank	45
4.	ऑल इंडिया इन्टर यूनिवर्सिटी गेमस् (एआईयू) में पदक जीता हो।	1st Rank	40
		2st Rank	35
		3st Rank	30

नोट:-

(i) सम्मिलित हुए आवेदकों के प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त निम्नांकित में से किसी खेल संस्थान का होना आवश्यक है :-

- इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमेटी।
- भारतीय ओलम्पिक संघ।
- एशियन ओलम्पिक परिषद।
- कॉमनवेल्थ खेल संघ।
- संबंधित एशियन खेल संघ/विश्व खेल परिषद।
- भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ।
- भारतीय विश्वविधालय से संबंधित संघ।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल संघ के अन्तर्गत भारतीय स्कूल खेल संघ।

(ii) उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाता है कि केवल एक प्रमाण पत्र जो कि अधिकतम अंक का आधार होगा, का मूल्यांकन किया जावेगा।

(b) **शारीरिक दक्षता परीक्षा** :- उपरोक्त के पश्चात योग्य आवेदक की शारीरिक दक्षता परीक्षा खेल चयन बोर्ड के द्वारा स्थाई आदेश के पार्ट-II/A के अनुसार ली जावेगी।

(c) योग्यता जांच परीक्षा (30 अंक) :- जिस खेल के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है, उस खेल की योग्यता जांच परीक्षा ली जायेगी और उसे निर्धारित 30 अंकों में से अंक दिये जायेंगे। योग्यता परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जायेगी, जिसमें मुख्य खेल अधिकारी अथवा राजस्थान कारागार या एनआईएस से योग्यता प्राप्त राज्य/केन्द्र सरकार के दो प्रशिक्षक और एक संबंधित खेल से संबंधित खिलाड़ी जो राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत नहीं हो, सम्मिलित होगा।

(i) व्यक्तिगत प्रदर्शन :- प्रत्येक खिलाड़ी को एक दूसरे के विरूद्ध प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होगी (यदि कोई हो तो)

समग्र मूल्यांकन की स्थिति	अंक
प्रथम	30
द्वितीय	28
तृतीय	26

चतुर्थ	24
पंचम	22
षष्टम	20
सप्तम	18
अष्टम	16

(a) उपरोक्त स्थिति के पश्चात् 8 वे स्थान के बाद प्रत्येक स्थान हेतु दो अंक कम किये जायेंगे।

(b) खेलों में प्रदर्शन का समय/दूरी/वजन/अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थी का प्रदर्शन निम्नांकित खेलों हेतु उनके सामने अंकितानुसार समय सीमा में होना चाहिए :-

क्र.सं.	नाम खेल	न्यूनतम समय सीमा
1.	100 मीटर दौड़	11.39 सैकण्डस्
2.	200 मीटर दौड़	22.82 सैकण्डस्
3.	400 मीटर दौड़	50.40 सैकण्डस्
4.	800 मीटर दौड़	2.05.07 M/s
5.	1500 मीटर दौड़	4.03.37 M/s
6.	5000 मीटर दौड़	15.42.55 M/s
7.	10000 मीटर दौड़	32.17.00 M/s
8.	शार्ट पुट	14.66 मीटर
9.	लम्बी कूद	7.02. मीटर
10.	जेवलींग थ्रो	62.25 मीटर
11.	डिस्क्रश थ्रो	45.56 मीटर
12.	हेमर थ्रो (7.26 कि.ग्रा.)	52.20 मीटर

नोट:- यदि पर्याप्त मात्रा में विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो खेल भर्ती मण्डल चयन समिति की मदद से उन खिलाड़ियों को भी बुला सकता है जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया हो ।

(ii) दल स्पर्धा:- नेशनल खेल संघ द्वारा बनाये गये मापदण्ड और नियमों के आधार पर चयन किया जायेगा।

अभ्यर्थी को कम से कम 15 अंक व्यक्तिगत प्रतियोगिता या सामूहिक प्रतियोगिता के रूप में लाना आवश्यक है अन्यथा उसे चयन हेतु अपात्र माना जावेगा।

B चयन सूची:- खेल भर्ती बोर्ड द्वारा श्रेणी एवं मण्डलवार वरीयता सूची तैयार की जायेगी, जो कि अभ्यर्थी द्वारा (100 अकों मे से) प्राप्त अंकों के आधार पर होगी।

अभ्यर्थी द्वारा समग्र मूल्यांकन में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त नहीं करने पर वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

C दस्तावेज सत्यापन:- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के समय आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र और राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया जायेगा।

D वरिष्ठता का निर्धारण-

(i) इस चयन प्रकिया से चयनित अभ्यर्थी को उसी वर्ष में सामान्य प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थी से कनिष्ठ माना जावेगा।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों के मध्य वरिष्ठता का निर्धारण उनके द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण प्रक्रिया (100 में से) के प्राप्तांक के आधार पर होगी। यदि दो अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त कर लेते है तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण आयु के आधार पर किया जावेगा, यदि दो अभ्यर्थी समान अंक एवं आयु के हो तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण शिक्षा के आधार पर किया जावेगा। यदि समान अंक, आयु एवं शिक्षा में प्राप्तांक समान हो तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उनके नाम की अग्रेजी वर्णमाला के आधार पर होगा।

नोट:- महानिदेशक कारागार की अनुमति से मुख्य खेल अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी अवधि के लिए चयनित कार्मिक राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलों हेतु अभ्यास/तैयारी कर सकेंगे।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर